संख्या-404 /2025/I/1191350/2025/23-6099/255/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष-2025-26 में प्रदेश के कतिपय जनपदों के कुल 10 सेतुओं की मरम्मत का कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कतिपय पत्र (तालिका के प्रस्तर-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2025-26 में प्रदेश के कतिपय जनपदों के कुल 10 सेतुओं की मरम्मत के कार्य हेतु तालिका के कॉलम-7 में अंकित कुल लागत रू0 1206.00 लाख (रूपये बारह करोड़ छ: लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों सहित श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक	जनपद	कार्य का विवरण	लागत	GST (18 %)	कुल लागत (18 % GST सहित) (5+6)	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7	8
1	361352/ 2025 Dt. 28.11.25	बहराइच	जनपद बहराइच में पूरे अलस्त खां सम्पर्क मार्ग के किमी0-2 पर लघु सेतु के मरम्मत कार्य	59.66	10.74	70.40	लो0नि0वि0
2	361339/ 2025 Dt. 28.11.25	बहराइच	जनपद बहराइच में पूरे अलस्त खां सम्पर्क मार्ग के किमी0-4 पर लघु सेतु के मरम्मत कार्य	60.56	10.90	71.46	लो0नि0वि0
3	378955/2025 Dt. 12.12.25	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में सानौली नौतनवां गोरखपुर मार्ग(जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर)(एन0एच0-29ई) के किमी0-95 में स्थित गोरखनाथ (लेवेल क्रासिंग सं0-162) रेल उपरिगामी दीर्घ सेतु के तात्कालिक मरम्मत का कार्य	58.89	10.60	69.49	लो0नि0वि0
4	378944/2025 Dt. 12.12.25	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में लेवेल क्रासिंग सं0-161 पर स्थित तरंग रेलवे उपरिगामी दीर्घ सेतु के तात्कालिक मरम्मत कार्य	198.73	35.77	234.50	लो0नि0वि0
5	291813/2025 Dt. 26.09.25	उन्नाव	जनपद उन्नाव में उन्नाव-हरदोई मार्ग पर निर्मित रेल उपरिगामी सेतु के मरम्मत कार्य	164.45	29.60	194.05	लो0नि0वि0
6	361807/2025 Dt. 29.11.2025	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में माईंधिया सम्पर्क मार्ग के किमी0-2 में क्षतिग्रस्त पुलिया के मरम्मत कार्य	40.58	7.30	47.88	लो0नि0वि0
7	361322/2025 Dt. 28.11.25	गाजीपुर	गाजीपुर में गाजीपुर बुजुर्गा नसीरपुर मार्ग से मिट्टापारा वाया कटैला सम्पर्क मार्ग के बेसो नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त बाक्स कल्वर्ट व पहुंच मार्ग के मरम्मत कार्य	66.36	11.94	78.30	लो0नि0वि0
8	365257/2025 Dt. 03.12.2025	गाजीपुर	गाजीपुर में गाजीपुर बुजुर्गा नसीरपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के बेसो नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल व पहुंच मार्ग के मरम्मत कार्य	140.17	25.23	165.40	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9	365254/2025 Dt. 03.12.205	गाजीपुर	गाजीपुर में गंगा नदी के कंकड़हवा घाट पर जमानियॉ कस्बे के निकट दीर्घ सेतु के मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य	159.68	28.74	188.42	लो0नि0वि0
10	361324/2025 Dt. 28.11.2025	जौनपुर	जौनपुर में कुण्डहा-सुजानगंज-मछलीशहर-मड़ियाहूँ-केराकत-सुल्तानपुर (एम0डी0आर0-151ई) मार्ग के किमी0-86 में स्थित गोमती नदी पर दीर्घ सेतु (उमानाथ) के मरम्मत कार्य	72.97	13.13	86.10	लो0नि0वि0
कुल योग				**1022.05**	**183.95**	**1206.00**	

<u>नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता / अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी०एस०टी० की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(5) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(8) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(9) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(11) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 द्वारा सुसंगत शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्यों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-800-अन्य व्यय-04-पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत-29-अनुरक्षण मद में राजस्व लेखा में अनुरक्षण कार्यों हेतु आय-व्ययक से प्राप्त धनराशि रू0 130.00 करोड़, जिसे शासनादेश दिनांक 01.08.2025 द्वारा प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखा गया है, से उक्त धनराशि का वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मण्डलायुक्त, सम्बन्धित मण्डल/ जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3- मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
7- संबंधित कोषाधिकारी।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।